(ग) राजस्थान के जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में ऊनी खादी कार्यक्रम को मुख्यत: राजस्थान राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन कार्यकर रही संस्थाओं/सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से चलाया जाता है । खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन तथा राजस्थान राज्य बोर्ड की भी बाड़मेर जिले में कोई विभागीय गतिविधि है । वर्ष 1979-80 के दौरान जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलो में ऊनी खादी में क्रमश: 3,425 तथा 1,989 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ किया गया था । इन दो जिलों में उत्पादित ऊनी खादी का मूल्य लगभग एक करोड रुपए था ।

(घ) आयोग ने स्थिति से निपटने के लिय निम्नलिखित कदम उटाए हैं :—

(1) कम्बलों तथा कम्बलियो की खुदरा बिक्री पर 10 प्रतिशत तथा ऊनी खादी की वस्तुओं की अन्य किस्मो पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट की अवधि को बढ़ा कर 75 दिन कर दिया गया है जब कि प्रत्येक वर्ष मे सामान्य अवधि 60 दिनों की होती है ।

(2) उन संस्थाओ जो राजस्थान से थोक आधार पर ऊनी खादी का माल खरीद रही है, को सामान्य थोक कमीशन के अलावा राजस्थान में संस्थाओ को 5 प्रतिशत थोक कमीशन लेने की अनुमति दे दी गई है ।

(3) राजस्थान में संस्थाओं को राज्य में तथा राज्य से बाहर ऊनी खादी की वस्तुओं की बिक्री के लिए अस्थायी बिक्री भण्डार खोलने की भी अनुमति दे दी गई है ।

(4) राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ, जयपुर जो राजस्थान में कार्य कर रही संस्थाओं/सहकारी सोसाइटियों का परिसंघ है, को उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए ऊनी खादी की वस्तुओं की बिक्री हेतु पटना में वस्त्रागार खोलने की अनुमति दे दी गई है । संस्था संघ ने पटना मे वस्त्रागार खोल लिया है और इस महीने से बिक्री भी शुरू कर दी है ।

बिना बिके ऊनी खादी के स्टाक को बेचने के लिए चालू वर्ष के दौरान हर संभव कदम उठाए जाएंगे ।

मूर्तियों की चोरी

844. **श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मूर्तियों की चोरी के कितने मामले दर्ज किये गये हैं;

(ख) उन में से कितने मामलों को सफलतापूर्वक हल कर लिया गया है और मूर्तियों को कितने स्थानों से बरामद किया गया था तथा मूर्ति चोरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार मूर्ति चोरो को दण्ड देने का है ताकि वे भविष्य में ऐसा न करेंगे ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): (क) से (ग). केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और उपायुक्त दिल्ली पुलिस, दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों मे मूर्तियों की चोरी के 1032 मामले दर्ज किए गए हैं । इन में से 136 मामलों में मूर्तियां 13 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रो के स्थानों से बरामद की गई हैं । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और दिल्ली पुलिस ने इन चोरियों के संबंध में 138 चोरों के खिलाफ कार्यवाही की है । मामलों का निर्णय हो जाने पर दण्ड उचित प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा ।